कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बाराबंकी।

पत्रांक 5102 / 14–4–4 बाराबंकी, दिनांक 15/06/2019

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सरयू वृत्त, उ0 प्र0
अयोध्या।

विषयः– इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि0 द्वारा प्रस्तावित ग्राम–प्यारेपुर सरैयां, तहसील– नवाबगंज व जनपद–बाराबंकी के गाटा संख्या– 207 मि0 व 208 मि0 में लखनऊ–फैजाबाद मार्ग एन0एच0 28 (नया एन0एच0 27) के किमी0 42–43 (चैनेज–42.434) के मध्य दायीं पटरी पर रिटेल आउटलेट के निर्माण कार्य हेतु 0.150691 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 34 वृक्षों के पातन के गैर वानिकी प्रयोग हेतु हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दिनांक 25–5–2019 को पॉच प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। जिसका परीक्षण कर प्रस्ताव समस्त संलग्नकों सहित चार प्रतियों में आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

<u>प्रमाण पत्र</u>

"प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त प्रस्ताव का भली–भॉति परीक्षण कर लिया गया है तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से पूर्णतः संतुश्ट है कि यह प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत निर्गत आदेशों व दिशा निर्देशों के अनुरूप है तथा समस्त वांछित अभिलेख /सूचना संलग्न है।"

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एन0के0सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी

संख्या 5102 / उक्तदिनांकित।

1– प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय वन अधिकारी बाराबंकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जब तक प्रदेश सरकार/ भारत सरकार से विधिवत स्वीकृति प्राप्त न हो जाय तब तक ऐसा कोई कार्य न करने दिया जाय जिससे वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन हो।

2– प्रतिलिपिः– डिप्टी जनरल मैनेजर (रिटेल सेल्स) इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0 इण्डियन ऑयल भवन सेक्टर–एफ कपूरथला काम्पलेक्स अलीगंज लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एन0के0सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी।

o/c